Total Number of Discontinued Old Age and Widow Pensions

80 **Sh. BALRAJ KUNDU(Mehem)**

Minister of State for Social Justice and Empowerment

Will the Minister of State for Welfare of Social Justice and Empowerment be pleased to state :-

a) The total number of old age and widow pensions discontinued in the State from the year 2019 till to date togetherwith the criteria adopted by the Government for it; and

b) The reasons for which the old age and widow pensions have been stopped for months again and again ?,

---

OM PRAKASH YADAV **MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

Sir,

Question	Answer
The total number of old age and widow pensions discontinued in the State from the year 2019 till to date togetherwith the criteria adopted by the Government for it; and	In the State, the pension of 2,92,789 citizen related to Old Age Allowance/Pension has been stopped from year 2019 as on date. Out of which the Old Age Pension/Allowance of 2,77,115 citizens was stopped because of their death. During the period mentioned above, widow pension pertaining to 52,479 out of total 56,338 beneficiaries was stopped as a result of their death. As is evident, there are different factors, like death, lost, wrong Aadhar number, annual income limit of more than 2.00 lakh, shown as dead in Parivar Pehachan Patra, shown as Ex-servicemen in Parivar Pehachan Patra, shown as Government Pensioner in Parivar Pehachan Patra, shown as Government employee in HRMS and shown as dead by Saksham employee and in widow pension due to inclusion of Husband's Name, the pension is temporaily stopped. After verification from regional offices the pension is re-instated or stopped permanentaly, as the case may be.
The reasons for which the old age and widow pensions have been stopped for months again and again ?	The pension is temporaily stopped on the basis of above mentioned factors, which is re-instated if the beneficiary is found eligible on the basis of verification.

बंद की गई वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और विधवा पेंशन की कुल संख्या

80 श्री बलराज कुण्डु (महम)

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क) वर्ष 2019 से अब तक राज्य में बंद की गई वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और विधवा पेंशन की कुल संख्या के साथ–साथ इसके लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कारक तथा

ख) किन कारणों से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को महीनों से बार–बार रोक दिया गया है ?

ओम प्रकाश यादव — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री

श्रीमान जी,

प्रश्न	उत्तर
वर्ष 2019 से अब तक राज्य में बंद की गई वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की कुल संख्या के साथ–साथ इसके लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कारक तथा	राज्य में वर्ष 2019 में अब तक कुल 2,92,789 नागरिकों से संबंधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ता/पेंशन रोकी गई है, जिसमें से कुल 2,77,115 नागरिकों की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता/पेंशन उनकी मृत्यु होने के कारण बंद की गई हे। उपर्युक्त समयावधि में कुल 56,338 लाभार्थियों की विधवा पेंशन रोकी गई, जिसमें से 52,479 लाभार्थियों की पेंशन उनके निधन होने के परिणामस्वरूप बंद की गई। जैसा कि विदित है कि विभिन्न कारकों जैसे मृतक, लापता, त्रुटिपूर्ण आधार संख्या, वार्षिक आय सीमा 2 लाख से अधिक, परिवार पहचान पत्र में मृतक दर्शाये जाने के कारण, परिवार पहचान पत्र में पूर्व सैनिक दर्शाये जाने के कारण, परिवार पहचान पत्र में सरकारी पेंशन दर्शाये जाने के कारण, एच0आर0एम0एस0 में कर्मचारी दर्शाये जाने के कारण और सक्षम कर्मचारी द्वारा मृतक दर्शाये जाने के कारण एवं विधवा पेंशन में परिवार पहचान पत्र में पति का नाम आने पर पेंशन अस्थाई रूप से रोकी जाती है, जिसे क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापन के उपरांत पुनः प्रारम्भ अथवा स्थाई रूप से बंद, जैसा लागू हो, कर दी जाती है।
किन कारणों से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को महीनों से बार–बार रोक दिया गया है ?	उपरोक्त वर्णित कारकों के आधार पर पेंशन अस्थाई तोर पर रोक दी जाती है जोकि सत्यापन उपरांत पुनः पात्र पाए गए लाभार्थियों की पेंशन प्रारम्भ कर दी जाती है।